मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-11

संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

शुक्रवार, दिनांक 16 मार्च, 2007 (फाल्गुन 25, 1928)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.32 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 15 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये।

2. घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रश्न संख्या-22(क्रमांक-3284) "कुप्रबंधन के कारण विद्युत का उत्पादन" संबंधी विषय पर सदन के माननीय सदस्यों की भावना के अनुरूप सदन की एक समिति गठित कर मामले की जांच कराने की घोषणा की.

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 133 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 143 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

3. नियम 267 क के अधीन विषय

(1) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य ने सामुदायिक स्वा. केन्द्र अमायन विकास खण्ड मेहगांव जिला भिण्ड में विजयराजे जननी सुरक्षा योजना की राशि वितरण में अनियमितता होने,

(2) श्री कृष्णकुमार सिंह (भंवर साहब), सदस्य ने म.प्र. अधीनस्थ लेखा सेवा में नियुक्त वर्ष 1987 से लाभ दिये जाने एवं वर्तमान में शिशिक्षुओं को लाभ न देने,

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

(3) डॉ. सुनीलम्, सदस्य ने भोपाल गैस पीड़ितों की समस्याओं के निराकरण हेतु 14 करोड़ रूपये की राशि केन्द्र सरकार द्वारा दिये जाने के बाद भी राज्य सरकार द्वारा कार्य नहीं किये जाने,

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(4) श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी, सदस्य ने बड़वाह विधान सभा कसरावद विधान सभा से जोड़ने वाले मार्ग की जर्जर हालत होने,

(5) डॉ. निशिथ पटेल, सदस्य ने बाधवगढ़, कान्हा, पेंच अभ्यारण्य में बाघों की संख्या में निरन्तर कमी होने,

(6) श्री रविन्द्र सुका महाजन, सदस्य ने बुरहानपुर जिले में नीले केरोसीन का फ्रीसेल कोटा बंद किये जाने, तथा

(7) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य ने शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय रीवा में ग्रीनकार्ड के आधार पर शासन के निर्देश अनुसार छात्रों को शिक्षण शुल्क माफ का लाभ न दिये जाने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत की।

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री बाबूलाल गौर, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार मंत्री ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (क्रमांक 27 सन् 2006) की धारा 30 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 6-12-98-अ-ग्यारह, दिनांक 10 जनवरी, 2007,

पटल पर रखा।

5. ध्यानाकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि आज की कार्य सूची में 14 ध्यान आकर्षण सूचनाओं को उनके विषय की गंभीरता और महत्व को देखते हुए सम्मिलित किया गया है। विधान सभा नियमावली के नियम 138 (3) को शिथिल करके यह प्रक्रिया निर्धारित की गई है कि इनमें से क्रमशः प्रथम चार ध्यान आकर्षण सूचनाओं को संबंधित सदस्यों के द्वारा सदन में पढ़ी जाने के पश्चात् संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जावेगा तथा उनके संबंध में सदस्यों द्वारा नियमानुसार प्रश्न पूछे जा सकेंगे। उसके बाद की अन्य सूचनाओं के संबंध में प्रक्रिया यह होगी कि वे सूचनाएं सभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेगी तथा उनके संबंध में लिखित वक्तव्य संबंधित मंत्री द्वारा पटल पर रखा माना जावेगा। लिखित वक्तव्य की एक-एक प्रति सूचना देने वाले सदस्यों को दी जावेगी। उपस्थित सदस्यों की सूचनाओं तथा उन पर संबंधित मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही में मुद्रित किया जावेगा।

मैं समझता हूँ कि सदन इससे सहमत है।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

(1) डॉ. निशिथ पटेल, श्री सज्जन सिंह वर्मा, श्रीमती सरोज बच्चन नायक, सदस्य ने जबलपुर जिले के सिहोरा तहसील अंतर्गत कृषकों की भूमि योग पीठ को आवंटित किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री कमल पटेल, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने "जबलपुर जिले के सिहोरा तहसील अंतर्गत कृषकों की भूमि योग पीठ को आवंटित किये जाने" संबंधी ध्यानाकर्षण के मामले पर शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया)

(2) श्री गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य ने मुरैना जिले में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के कार्य में अनियमितता किये जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री गंगाराम पटेल, राज्यमंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास ने इस पर वक्तव्य दिया।

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

(3) सर्वश्री आरिफ अकील, रामलखन शर्मा, डॉ. सुनीलम्, सदस्य ने भिण्ड में पदस्थ महिला उप निरीक्षक की हत्या होने की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

श्री नागेन्द्र सिंह, गृह राज्यमंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(सदस्य सर्वश्री रामलखन शर्मा, वंशमणि प्रसाद वर्मा, मनमोहन शाह "बट्टी", अर्जुन पलिया, डॉ. सुनीलम् एवं श्रीमती सरोज बच्चन नायक ने "भिण्ड में पदस्थ महिला उप निरीक्षक की हत्या होने" संबंधी ध्यानाकर्षण के मामले पर शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया)

(श्री ओमप्रकाश सखलेचा, सदस्य की उनकी सदन की अनुपस्थिति के कारण शिवपुरी जिले के नागदा-गजौरा बांध की डूब भूमि का पट्टा दिये जाने संबंधी ध्यानाकर्षण की सूचना प्रस्तुत नहीं हो सकी)

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार पढ़ी हुई मानी गई सूचनाएं -

(4) सर्वश्री रामलखन शर्मा, मनमोहन शाह बट्टी, श्रीमती सरोज बच्चन नायक, सदस्य की ग्वालियर स्थित अनुरक्षण गृह में एक बालिका के साथ बलात्कार कर हत्या किये जाने संबंधी सूचना तथा मुख्यमंत्री का वक्तव्य।

(5) श्री रामलखन शर्मा, सदस्य की बालाघाट जिले में वाहन चोरों पर पुलिस द्वारा समुचित कार्यवाही न किये जाने संबंधी सूचना तथा मुख्यमंत्री का वक्तव्य।

(6) श्री रामनिवास रावत, डॉ. गोविन्द सिंह, श्री सज्जन सिंह वर्मा, सदस्य की ग्वालियर जिले के चिनौर थाना अंतर्गत एक युवक की हत्या होने संबंधी सूचना तथा मुख्यमंत्री का वक्तव्य।

(7) सर्वश्री राजेन्द्र कुमार सिंह, शंकरलाल तिवारी, सदस्य की सतना शहर के बांधवगढ़ कालोनी से एक छात्र का अपहरण होने संबंधी सूचना तथा मुख्यमंत्री का वक्तव्य।

(8) श्री राजेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य की सतना चित्रकूट सड़क मार्ग का निर्माण न होने संबंधी सूचना तथा लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य।

(9) सर्वश्री आरिफ अकील, सज्जन सिंह वर्मा, रामलखन शर्मा, सदस्य की इंदौर जिले के हातौद थाना में पुलिस पिटाई से एक व्यक्ति की मौत होने संबंधी सूचना तथा मुख्यमंत्री का वक्तव्य।

(10) सर्वश्री आरिफ अकील, रामनिवास रावत, रामलखन शर्मा, सदस्य की मुरैना जिले के सबलगढ़ स्थित अनुसूचित जाति की छात्रा के साथ बलात्कार होने से उत्पन्न स्थिति संबंधी सूचना तथा मुख्यमंत्री का वक्तव्य।

(11) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य की रीवा जिले के सिरमौर में पदस्थ सहायक यंत्री द्वारा आत्महत्या किये जाने संबंधी सूचना तथा मुख्यमंत्री का वक्तव्य।

(12) श्री आरिफ अकील, सदस्य की भोपाल शहर में लूटपाट की घटनाएं घटित होने संबंधी सूचना तथा मुख्यमंत्री का वक्तव्य।

(13) श्री राजेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य की सतना जिला पंचायत के अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार किये जाने संबंधी सूचना तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का वक्तव्य।

6. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री रामनिवास रावत, सदस्य की श्योपुर जिले -

(क) तहसील विजयपुर से गोहटा तक सड़क का डामरीकरण कराये जाने,

(ख) तहसील विजयपुर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भवन निर्माण कराये जाने,

(ग) रघुनाथपुर में 35 के.व्ही.ए. का विद्युत उपकेन्द्र स्थापित कराये जाने, तथा

(घ) तहसील विजयपुर में कूनों नदी पर बांध बनाये जाने,

(2) श्री रामदास उईके, सदस्य की छिंदवाड़ा जिले के तहसील जुन्नारदेव में उप जेल की स्वीकृति प्रदान किये जाने, एवं

(3) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य की उज्जैन जिले के -

(क) नागदा स्थित राजीव नगर कालोनी में स्ट्रीट लाईट व पोल लगाये जाने,

(ख) नागदा स्थित तहसील महाविद्यालय की बाउन्ड्रीवाल बनाये जाने,

(ग) ग्राम चापाखेड़ा में उच्च क्षमता की पेयजल टंकी का निर्माण कराये जाने,

(घ) ग्राम चापाखेड़ा से बड़ावदा तक सड़क का डामरीकरण कराये जाने, तथा

(ङ) ग्राम नायन-नागदा, भीकमपुर-बड़ागांव-चिरोला तक सड़क का डामरीकरण कराये जाने,

संबंधी याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गई।

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) संशोधन विधेयक, 2007 (क्रमांक 3 सन् 2007) सदन की अनुमति से विधेयक पुरःस्थापित किया।

8. वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)

(1) श्री जयंत मलैया, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को -

अनुदान संख्या - 21	आवास एवं पर्यावरण के लिए एक सौ इकहत्तर करोड़, अठारह लाख, बयासी हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 22	नगरीय प्रशासन एवं विकास-नगरीय निकाय के लिए एक सौ तिहत्तर करोड़, बयासी लाख, अस्सी हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 53	अनुसूचित जाति उपयोजनांतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता के लिए एक सौ चालीस करोड़, नब्बे लाख रूपये,
अनुदान संख्या - 68	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता के लिए अड़तीस करोड़, दस लाख रूपये, तथा
अनुदान संख्या - 75	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता के लिए सत्रह सौ नौ करोड़, बत्तीस लाख, उन्तीस हजार रूपये,

तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव क्रमांक
मांग संख्या - 21	1,2,3
मांग संख्या - 22	1,3,5,6
मांग संख्या - 53	1,2,
मांग संख्या - 68	1,2
मांग संख्या - 75	1

मांगों और कटौती प्रस्ताव पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर
(2) श्री नरेश दिवाकर (डी.एन.)

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

(3) श्री रामलखन शर्मा
(4) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा
(5) श्री बहादुर सिंह चौहान
(6) श्री राजेश पटेल

(7) डॉ. नारायण परमार

(8) डॉ. गोविन्द सिंह

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(9) श्री बृजमोहन धूत

(10) श्रीमती अलका जैन

(11) श्री शंकरलाल तिवारी

(12) डॉ. सुनीलम्

(13) श्री हरीशंकर खटीक

(14) श्री राजनारायण सिंह पुरनी

(15) श्री मनमोहन शाह "बट्टी"

(16) श्री लाल सिंह आर्य

सभापति महोदय (श्री इन्द्रजीत कुमार) पीठासीन हुए.

श्री जयंत मलैया, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) श्री कैलाश विजयवर्गीय, ऊर्जा मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को -

अनुदान संख्या - 12	ऊर्जा के लिए उन्नीस सौ बानवे करोड़, इकतालीस लाख, बहत्तर हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल के लिए चौदह सौ उनहत्तर करोड़, पचपन लाख, इक्यानवे हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 42	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल के लिए दो सौ अठानवे करोड़, तीस लाख रूपये,
अनुदान संख्या - 67	लोक निर्माण कार्य-भवन के लिए दो सौ पैसठ करोड़, बाईस लाख, उनचास हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 69	सूचना प्रौद्योगिकी के लिए सात करोड़, नब्बे लाख रूपये,
अनुदान संख्या - 73	त्वरित विद्युत विकास से संबंधित व्यय के लिए चवालीस करोड़ रूपये, तथा
अनुदान संख्या - 76	लोक निर्माण से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं के लिए चौरानवे करोड़, सैंतालीस लाख रूपये,

तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव क्रमांक
मांग संख्या - 12	2,4,5,7,8,10
मांग संख्या - 24	2,4,6,7,8,10
मांग संख्या - 42	1,4
मांग संख्या - 67	1,2,4,5,6
मांग संख्या - 69	1,3,4

मांगों और कटौती प्रस्ताव पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) डॉ. निशिथ पटेल

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(2) श्री लाल सिंह आर्य

(3) श्री रामलखन शर्मा

(4) श्री इन्द्रजीत कुमार पटेल

(5) श्री गिरिराज मण्डलोई

(6) श्रीमती सरोज बच्चन नायक

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

(7) श्रीमती अर्चना चिटनिस

(8) श्री बहादुर सिंह चौहान

(9) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा

(10) श्री राजनारायण सिंह पुरनी

(11) श्री बाबूलाल सीताराम महाजन

(12) श्री मनमोहन शाह बट्टी

(13) डॉ. सुनीलम्

(14) श्री सत्यदेव कटारे

(15) श्री भूपेन्द्र आर्य **(चर्चा अपूर्ण)**

9. घोषणा

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सदन में घोषणा की गई कि आज अशासकीय कार्य का दिन है इसके लिए सदन के अंतिम ढाई घन्टे अशासकीय कार्य के लिए निर्धारित है सदन की बैठक आज 8.00 बजे तक होना है इस प्रकार से सायं 5.30 बजे से अंतिम ढाई घन्टे अशासकीय कार्य के लिए निर्धारित है। माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय मंत्री से संबंधित मांग संख्याओं की कार्यवाही पूर्ण होने के बाद अशासकीय कार्य लिया जायेगा। इस हेतु ढाई घन्टे का समय निर्धारित किया जाता है।

मै समझता हूं सदन इससे सहमत है।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

10. वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)

(16) डॉ. गोविन्द सिंह

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(17) श्री मनोज निर्भय सिंह पटेल

(18) श्री राजेश पटेल

(19) श्री हरीशंकर खटीक **(चर्चा अपूर्ण)**

11. वक्तव्य

मुख्यमंत्री, श्री शिवराज सिंह चौहान ने दिनांक 14 मार्च, 2007 को जिला मुरैना में ग्राम गढ़िया थाना पोरसा में हुई मुठभेड़ में डकैत जगजीवन परिहार को धराशाही करने पर मृत एवं घायक पुलिस कर्मचारियों के आश्रितों को सुविधा दी जाने के संबंध में वक्तव्य दिया।

श्रीमती जमुना देवी, नेता प्रतिपक्ष ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की।

12. वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)

(20) श्री रविन्द्र सुका महाजन

(21) श्री नारायण प्रसाद कबीर पंथी

(22) श्री सुखदेव पांसे

(23) श्री गोविन्द सिंह पटेल

(24) श्रीमती सुशीला राकेश सिरोठिया

(25) श्री बृजमोहन धूत

(26) कुंवर विजय बहादुर सिंह बुन्देला

(27) श्री प्रदीप अमृतलाल जायसवाल

(28) श्री ताराचंद बावरिया

(29) श्री मेहरबान सिंह रावत

श्री कैलाश विजयवर्गीय, ऊर्जा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

13. मध्यप्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष तथा सदस्यों के वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधाओं के पुनरीक्षण तथा आनुषंगिक विषयों का परीक्षण कर अनुशंसाएं करने के लिए सदन की समिति की घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन में घोषणा की गई कि मध्यप्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष,उपाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष तथा सदस्यों के वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधाओं के पुनरीक्षण तथा आनुषंगिक विषयों का परीक्षण कर अनुशंसाएं करने के लिए निम्नांकित सदस्यों की समिति का गठन एतद् द्वारा किया जाता है :-

(1) श्री हजारीलाल रघुवंशी, माननीय उपाध्यक्ष म.प्र.विधान सभा
(2) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, माननीय संसदीय कार्य मंत्री, म.प्र. शासन
(3) श्रीमती सुधा जैन, सदस्य, विधान सभा
(4) श्री ज्ञान सिंह, सदस्य, विधान सभा
(5) श्री लाल सिंह आर्य, सदस्य, विधान सभा
(6) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, विधान सभा
(7) श्री कृष्णकुमार सिंह (भंवर साहब)

श्री हजारीलाल रघुवंशी, माननीय उपाध्यक्ष म.प्र.विधान सभा समिति के सभापति एवं डॉ. ए.के. पयासी, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा समिति के पदेन सचिव होंगे।

समिति अपनी कार्य प्रणाली स्वयं निर्धारित करेगी और ऐसी जानकारी प्राप्त करेगी जो वह आवश्यक समझे। विधान सभा सचिवालय ऐसी सभी जानकारियाँ, दस्तावेज तथा अन्य सहायता समिति को प्रदान करेगा जिसकी समिति मांग करे।

समिति अपनी सिफारिशें प्रतिवेदन के रूप में यथाशीघ्र माननीय अध्यक्ष, मध्यप्रदेश विधान सभा को प्रस्तुत करेगी।

(डॉ. निशिथ पटेल, श्री शरद जैन (एडव्होकेट), श्री उमाशंकर गुप्ता, श्री गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य की सदन से अनुपस्थिति के कारण उनके अशासकीय संकल्प प्रस्तुत नहीं हो सके)

रात्रि 07 बजकर 32 मिनिट पर विधान सभा की कार्यवाही शनिवार, दिनांक 17 मार्च, 2007 (फाल्गुन 26, 1928) के प्रात: 9.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.